FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

माया देवी वगै0 बनाम भगवाना उर्फ भागीरथ वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 463 सन् 2024 जीसीएमएस नं. 2024/682

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-08-2024	रिपोर्ट सरिश्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री नवीन कुमार यादव** एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देशय ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 90, 93, 94, 95 कुल किता 04 राजस्व ग्राम चक चारावास पटवार हल्का मण्ढोली व खसरा नम्बर 96, 97 कुल किता 02 कुल रकबा 4.26 हैक्ट0 अवस्थित ग्राम राजनगर पटवार हल्का गोडावास तहसील नीमकाथाना के वादग्रस्त भूमि का बेचान न करें तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखे।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.09.2024 को पेश हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	

07/10/24
पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थत
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 07/11/24
को पेश हों।

7/11 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थत
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 16/1/25
को पेश हों।

16/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभावक संघ ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 28/2/25 को पेश हो।

28/02/2025
पत्रावली पेश हुई। अभिभावक संघ ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 04/06/25 को पेश हो।

4/6/25
पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपास्थत।
P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 26/8/25
को पेश हों।

26/8/25
पत्रवली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O
सा. दौर पर हैं। पत्रावलों पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 15/11/25 को पेश हो।

06/11/2025
वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रा० पत्र विड्रा करने हेतु प्रा० पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई। प्रा० पत्र T.I. से संबंधित मूल वादपत्र आज विड्रा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर ड्राप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से काम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी